न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 624/2023 (2023/82)

अपीलार्थी :—

एम राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल, जाति ओसवाल (बोहरा), निवासी बिलाड़ा हाल 2958 एगाम्बरम स्ट्रीट चैन्नई 31 आज बमुकाम जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :—

1. महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह, जाति सिरवी (राठौड़) निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3806 ग्राम खारिया मीठापुर जो दिनांक 07.12.2010 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :—

1. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डारा (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश पंवार (प्रत्यर्थी संख्या 01)।

—: आदेश :— दिनांक :— 12.04.2024

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 3806 ग्राम खारिया मीठापुर जो दिनांक 07.12.2010 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के खसरा नं0 791/1 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि स्थित है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से प्रत्यर्थी संख्या 01 से दिनांक 23.11.2010 को खरीद की लेकिन पटवारी हल्का द्वारा खरीदसुदा भूमि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के खसरा नं0 791/1 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी के स्थान पर केवल रकबा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी का ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:17 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश पंवार ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 26.03.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 12.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के खसरा नं0 791 / 1 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि क्रय की गई तथा उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा की प्रतिलिपि पटवारी हल्का को दी गई। पटवारी हल्का ने बतलाया कि बेचाननामा के अनुसार नामान्तरकरण कर इत्तला कर दी जावेगी। प्रार्थी विश्वास में रहा कि बेचाननामा के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया जायेगा तथा प्रार्थी व्यवसाय के संबंध में चेन्नई में रहता है। प्रार्थी ने दिनांक 12.12.2023 को जमाबन्दी की नकल लेने के लिए तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया तो तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा उसी दिन नकल देने पर ज्ञात हुआ की नामान्तरकरण संख्या 3806 के जरिये प्रार्थी का नाम तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया लेकिन रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी के स्थान पर रकबा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी ही दर्ज किया गया। उसी दिन प्रार्थी द्वारा पटवारी से अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल ली गई। अतः प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.12.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई तथा अपील पेश करने में जो देरी हुई है वो माकुल व सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 से ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के खसरा नं0 791 / 1 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म गै0 मु0 एग्रो0 प्रा0 लिमिटेड जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की गई जो उप पंजीयक बिलाड़ा में दिनांक 23.[illegible] को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 313 में पृष्ठ संख्या 96 क्रम संख्या [illegible]003957 पर पंजीबद्ध किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:17 IST
Reason: SelfAttested

है। जिसकी प्रतिलिपि पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दायर करने के लिए दी गई लेकिन पटवारी हल्का द्वारा रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म गै0 मु0 एग्रो0 प्रा0 लिमिटेड के स्थान पर 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी ही दर्ज किया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि पटवारी हल्का को रकबा कम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था तथा बिना किसी आधार के पटवारी हल्का द्वारा रकबा कम कर दिया गया। इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश पंवार ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब पेश नहीं किया और न ही इस बाबत् मौखिक उजर एतराज किया। प्रत्यर्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने भी अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर बेचाननामा के अनुसार नामान्तरकरण करने के लिए सहमति दी।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में जो देरी के कारण बतलाए गए है वह सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा जो उप पंजीयक बिलाड़ा में दिनांक 23.11.2010 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 313 में पृष्ठ संख्या 96 क्रम संख्या 2010003957 पर पंजीबद्ध है के जरिये ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के खसरा नं0 791 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म गै0 मु0 एग्रो0 प्रा0 लिमिटेड खरीद की गई लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी के स्थान पर 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी [illegible] कर दिया गया जो न्यायसंगत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3806 ग्राम खारिया मीठापुर जो दिनांक 07.12.2010 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बिलाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रजिस्टर्ड बेचाननामा जो उप पंजीयक बिलाड़ा में दिनांक 23.11.2010 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 313 में पृष्ठ संख्या 96 क्रम संख्या 2010003957 पर पंजीबद्ध है, उसके अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:17 IST
Reason: SelfAttested